03/06/25

आज यह पत्रावली पेश हुई वादी पक्ष मारफत अधिवक्ता वकील प्रतिवादी द्वारा कुर्की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, इसके पश्चात आपत्ति पत्र सुना गया प्रार्थना आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

अब पक्ष अधिवक्ता को वादी मूल दावे पर सुना गया पत्रावली से देखें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव तहसील रूप मुसावर का भली भांति अध्ययन किया गया अब अवलोकन के पश्चात इस दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते। अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव तहसील रूप मुसावर के अनुसार डिक्री किया जाता है निर्णय प्रकरण के लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो कार्यवाही तकमील जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)